भाग–1

कार्यालय :– जिला पशुपालन पदाधिकारी, जमुई।

मेडिसिनल एवं ननमेडिसिनल सामग्री के क्रय के हेतु विस्तृत विवरणी

जमुई जिलान्तर्गत विभिन्न पशुचिकित्सालयों/औषधालयों/एम्बुलेटरी भान में उपयोग हेतु मेडिसिनल एवं ननमेडिसिनल सामग्री आदि का क्रय हेतु निविदा शर्ते।

प्रतिष्ठित निर्माणक कम्पनियां/फर्म/उनके प्राधिकृत आपूर्तिकर्ता निविदा में भाग ले सकते है।

1. मेडिसिनल एवं ननमेडिसिनल सामग्री आदि के दर तथा आपूर्तिकर्ता का निर्धारण सीलबन्द द्विलिफाफा पद्धति के आधार पर किया जाएगा। अलग–अलग सीलबन्द लिफाफा में "तकनीकी निविदा " तथा " वित्तीय निविदा " अंकित कर इन्हे एक बड़े सीलबन्द लिफाफा में प्रस्तुत करना होगा जिस पर " जिला पशुपालन पदाधिकारी, जमुई निविदा हेतु " लिखित होना चाहिए।

2. निविदायें स्पीड पोस्ट/निबंधित पोस्ट/हाथों–हाथ द्वारा दैनिक समाचारपत्रों में प्रकाशन के तिथि को मिलाकर, 07 (सात) वें दिन तक में जिला पशुपालन कार्यालय, जमुई में प्राप्त किया जाएगा। विलम्ब से प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. तकनीकी निविदा में सामग्रियों के उत्पादन का लाइसेंस, GMP/ISO प्रमाण–पत्र विगत तीन वर्षो का इनकम टैक्स रिटर्न/अद्यतन ऑडिटेड बैंलेस सीट/पैन कार्ड/नन कनभिक्शन सर्टिफिकेट, वार्षिक टर्न ओवर की स्वअभिप्रमाणित प्रति एवं वैध बिक्री कर क्लीयरेस प्रमाण पत्र/VAT clearance प्रमाण पत्र होना चाहिए।

4. निविदादाता को इस आशय का मूल शपथ–पत्र दायर करना होगा कि वे किसी सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थान द्वारा बिहार अथवा अन्य राज्यों द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं है।

5. निविदादाता को रू0 (5000) पाँच हजार रूपये का अर्नेस्ट मनी की राशि के रूप में डिमांड ड्राफ्ट जमा करना होगा जो जिला पशुपालन पदाधिकारी, जमुई के नाम से जमुई में भुगतेय होना चाहिए।

6. असफल निविदादाता का अर्नेस्ट मनी की राशि उनके अनुरोध पर लौटा दी जाएगी जबकि सफल निविदादाता के अर्नेस्ट मनी की राशि उनके द्वारा संतोषजनक सामग्री आपूर्ति तक रोक रखी जाएगी। अर्नेस्ट मनी की जमा राशि पर किसी प्रकार का सूद देय नही होगा।

7. सभी कागजात के सभी पृष्ठ स्वअभिप्रमाणित होनी चाहिए तथा निविदा की सभी शर्तों को मान्य होने का प्रमाण–पत्र देना होगा।

8. तकनीकी रूप से सफल निविदादाता का ही वित्तीय लिफाफा क्रय समिति द्वारा खोलकर विचार किया जाएगा।

9. आपूर्ति आदेश मिलने पर सभी सामग्रियों को क्रयादेश द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर आपूर्ति करना होगा।

10. जिला पशुपालन पदाधिकारी, जमुई के आपूर्ति आदेशानुसार जिला पशुपालन कार्यालय में सामग्री की आपूर्ति करनी होगी जिसके लिए कोई परिवहन खर्च आदि देय नहीं होगा। सामग्री प्राप्ति के बाद भुगतान जिला पशुपालन पदाधिकारी, जमुई के कार्यालय द्वारा संगत मद में उपलब्ध आवंटन की राशि से किया जाएगा।

11. निविदादाता को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि इस निविदा के लिए उनके द्वारा प्रस्तुत दर बिहार के अन्य जिलों में उनके द्वारा प्रस्तुत दर से अधिक नही है।

12. निविदा सूचना में अंकित दवा के Generic Name के अतिरिक्त किसी अन्य नाम के दर का टेंडर अमान्य होगा।

13. आपूरित सभी सामानों के हरेक पैकेट पर Not for sale, For Bihar Govt. use only लिखा होना चाहिए।

14. दवा का एक्सपाइरी डेट आपूर्ती के समय न्यूनतम 18 महीने होना चाहिए।

15. भुगतान के समय ही श्रोत पर देय GST की राशि की कटौती कर ली जाएगी। GST से छूट प्राप्त करने के लिए आपूर्तिकर्ता को वाणिज्य कर विभाग/सक्षम प्राधिकार से इस निविदा के संदर्भ में आपूर्ति किये जाने वाली सामग्रियों हेतु समक्ष प्राधिकार द्वारा निर्गत इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा आपूर्ति की गयी सामग्रियों का अग्रिम भुगतान कर दिया गया है तथा उन्हे इस मामलें में GST का भुगतान नहीं किया जाना है।

16. इस निविदा द्वारा निर्धारित दर तथा आपूर्तिकर्ता वित्तीय वर्ष 2017–18 तक मान्य होगें। इस बीच विभाग द्वारा संसूचित किसी आयटम का निर्धारित दर यदि इस निविदा के निर्धारित दर से कम होगा तो उस आयटम का निर्धारित दर तथा आपूर्तिकर्ता स्वतः समाप्त समझे जायेगें।

17. जिला पशुपालन पदाधिकारी, जमुई कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के बिना कारण बताए इस निविदा को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

18. निर्धारित दर पर पूरी मात्रा में सामानों की आपूर्ति नही कर पाने अथवा एक से अधिक निविदादाता का सामग्री के न्यूनतम दर की स्थिति में विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं के बीच आपूर्ति आदेश विभक्त किया जा सकता है।

19. निर्माण कम्पनियां/फर्मो/उनके प्राधिकृत आपूर्तिकर्ता के GST निबंधन संबंधी प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करना है।

20. निविदा अनुमोदित होने के पश्चात् सामग्री का भौतिक सत्यापन होने के पश्चात् ही क्रयादेश निर्गत किया जायेगा।

21. किसी भी प्रकार का वैधानिक मामला जमुई जिला के क्षेत्राधीन होगा।

<u>वित्तीय भागः–</u>

1. प्रत्येक सामग्री के लिए अलग–अलग उनका कम्पनी दर एम0आर0पी0 GST तथा कुल आपूर्ति दर अंकित करना होगा।

2. अंकित दर के अलावा अन्य कोई भी राशि (परिवहन–व्यय आदि) देय नहीं होगा।

जिला पशुपालन पदाधिकारी
जमुई।

List of Veterinary Medicines
for the Year 2017-18

Si. No.	List of Veterinary Medicine	Packing
1.	2.	3.
1.	Ampicillin and Cloxacillin Injection (3gm)	3 gm. Vial
2.	Oxytetracycline Injection (50 mg/ml)	100 ml. Vial
3.	Oxytetracycline bolus 500mg	-
4.	Oxytetracycline bolus 1 gm.	-
5.	Enrofloxacin Injection (100mg./ml.)	30 ml. Vial
6.	Gentamicin Injection	30 ml. Vial
7.	Ceftriaxone Injection 500 mg.	-
8.	Ceftriaxone Injection 3 gm.	-
9.	Fenbendazole tab 150 mg.	-
10.	Fenbendazole tab 1.5 gm.	-
11.	Fenbendazole bolus 3 gm.	-
12.	Ivermectin Injection (1%)	10 ml.
13.	Cypermethrine liquid (10%W/v)	1 liter
14.	Amitraj solution 12.5%	1 liter
15.	Meloxicam and Paracetamol Injection (Meloxicam 5mg. + Paracetamol 150 mg./ml.)	100 ml.
16.	Ketoprofen injection (100 mg./ml.)	50 ml.
17.	Pheniramine Maleate Injection (22.75 mg./ml.)	100 ml.
18.	Dexamethasone Injection (4 mg./ml.)	10 ml.
19.	Mineral Misture (B.I.S.)	1 Kg.
20.	B. Complex Injection	30 ml.
21.	Vitamin A Injection	5 ml.
22.	Organic Phosphate Injection	30 ml.
23.	Dextrose 20% with electrolyte Injection	500 ml.

N.B. The expiry date of all the veterinary medicines should not be less than 18 (eighteen) months on the date of actual supply on the spot.

D.A.H.O
Jamui